न्यायालय :– माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

R-1862-I/2011

प्र.क. /2011 निगरानी

1. राधेश्याम पुत्र राम सिंह राठौर निवासी मुंशी का बाड़ा दत्तपुरा मुरौना म.प्र.
2. श्रामजीलाल पुत्र रामलाल खटीक गोपालपुरा मुरैना जिला मुरैना
3. दिनेश गोस्वामी पुत्र पूरनगिरी गुंसाई निवासी जौरा खुर्द तह. मुरैना जिला मुरैना
4. शैलेन्द्र गोड़ पुत्र ल्होरेराम गोड़ निवासी जोरा तह. जौरा जिला मुरैना म.प्र. ____ आवेदकगण

बनाम

1. म.प्र. शासान ____असल अनावेदक
2. राकेश सिंह पुत्र जय सिंह गुर्जर निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मुरैना
3. श्रीमती मीरादेवी पत्नी बृजमोहन वैश्य
4. श्रीमती सुमनि देवी पत्नी विजय कुमार वैश्य
5. श्रीमती सुमन गोयल पत्नी श्री सुरेशचन्द्र गोयल समस्त निवासी गण कस्वा जौरा जिला मुरैना
6. रामस्वरूप पुत्र लालपति कारी निवासी अलापुर तह. जौरा जिला मुरैना म.प्र. ____ तरतीवी अनावेदकगण

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

———

प्रकरण क्रमांक – निग0 1862–I/11 जिला – मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08-7-2015	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 42/2009–10/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 07–07–11 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में उल्लिखित होने से उन्हें पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3– आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि विवादित भूमि का पट्टा अनावेदक कं. 6 रामस्वरूप को वर्ष 1983 में दिया गया था । अधीनस्थ न्यायालयों ने इस बिंदु पर ध्यान नहीं दिया है कि विवादित भूमि का विक्रय जब रामस्वरूप द्वारा अनावेदक क्रमांक 2 लगायत 5 को किया गया उस समय राजस्व अभिलेखों में उसका नाम भूमिस्वामी के रूप में अंकित था तथा खसरों में अहस्तांतरणीय शब्द अंकित नहीं था । अनावेदक क्रमांक 2 लगायत 5 द्वारा भूमि क्रय किए जाने के उपरांत उनका विधिवत नामांतरण हुआ । आवेदकों ने अनावेदक क्रमांक 2 लगायत 5 से भूमि क्रय की है । क्रय किए जाने के उपरांत आवेदकों का भी नामांतरण विधिवत किया गया, तथा उन्हें भू–अधिकार पुस्तिकायें प्रदान की गईं । आवेदकगण आज भी भूमि पर आधिपत्यधारी हैं । इस प्रकार इस प्रकरण में भूमि का अंतरण कई बार हुआ है और अंतरणों के समय शासन की ओर से कोई आपत्ति नहीं ली गई ऐसी स्थिति में	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	न्याय दृष्टांत 2005 (1) एम.पी.एल.जे. शार्ट नोट 2 के अनुसार अनावेदक शासन को आवेदकों के स्वत्वों को चुनौती देने का अधिकार नहीं है। यह तर्क भी दिया गया कि इस प्रकरण में कलेक्टर द्वारा 15 वर्ष से अधिक समय उपरांत स्वमेव निगरानी के अधिकारों का उपयोग किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि के अंतरणों को शून्य घोषित किया गया है जो अवैधानिक है क्योंकि स्वमेव निगरानी के अधिकारों का उपयोग युक्तियुक्त समय के भीतर ही किया जा सकता है और युक्तियुक्त अवधि कुछ माह ही हो सकती है । इस संबंध में उनके द्वारा न्यायदृष्टांत 1998(1) म0प्र0 वीकली नोट्स 26 एवं न्यायदृष्टांत I.L.R. (2011) M.P.1 (माननीय उच्च न्यायालय पूर्णपीठ) (रनवीर सिंह मृतक वारिसान किशोरी सिंह एवं अन्य तथा म0प्र0 शासन) का हवाला दिया गया है । 4– अनावेदक म0प्र0 शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा आलोच्य आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया । 5– उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है इस प्रकरण में तहसीलदार, जौरा द्वारा वर्ष 1983 में प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक क्र. 6 रामस्वरूप को प्रदाय की गई है और उसके बाद उसका नाम राजस्व अभिलेखों में भूमिस्वामी के रूप में अंकित रहा तथा । बाद में उसके द्वारा भूमि का विक्रय अनावेदक क्र. 2 लगायत 5 को किया गया और उनका भी नामांतरण विधिवत किया गया । अनावेदक क्रमांक 2 लगायत 5 द्वारा आवेदकों को प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय किया गया है । विक्रयपत्र के आधार पर आवेदकों का नामांतरण भी विधिवत	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 1862–I/11 जिला – मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	किया गया है । इस प्रकार स्पष्ट है कि इस प्रकरण में भूमि के अंतरण कई बार हुए हैं और अंतरण के उपरांत केताओं के विधिवत नामांतरण हुए हैं तथा उन्हें भू–अधिकार पुस्तिकायें प्रदान की गई हैं । अंतरण के समय तथा नामांतरण के समय कोई आपत्ति शासन की ओर से नहीं की गई है । न्याय दृष्टांत 2005 एम.पी.एल.जे. भाग–1 शार्ट नोट 2 में माननीय उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है कि यदि भूमि का अन्तरण कई बार किया गया है और अन्तरण के अवसर पर कोई आपत्ति नहीं की गयी है, तब शासन को अपीलार्थी के स्वत्वों को चुनौती देने का अधिकार नहीं है । इस न्यायदृष्टांत के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश विधिसम्मत नहीं हैं । इसके अतिरिक्त अभिलेख से यह स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय के आदेश को कलेक्टर द्वारा दिनांक 08–03–2010 को अर्थात 15 वर्ष से अधिक समय उपरांत स्वमेव निगरानी में लेकर निरस्त किया गया है । आवेदक की ओर से उद्धरित न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में उक्त अवधि युक्तियुक्त अवधि नहीं मानी जा सकती । न्यायदृष्टांत 1998 (1) म0प्र0 वीकली नोट्स 26 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक वर्ष की अवधि को, किसी प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेने हेतु युक्तियुक्त अवधि नहीं माना गया है । इसी प्रकार न्यादृष्टांत I.L.R. (2011) M.P.1 (रनवीर सिंह मृतक वारिसान किशोरी सिंह एवं अन्य तथा म0प्र0 शासन) में माननीय उच्च न्यायालय, म0प्र0 की पूर्णपीठ द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	न्यायालयों के अनेक न्यायदृष्टांतों का संदर्भ देते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि – संहिता की धारा 50 के अंतर्गत परिकल्पित पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा शक्तियों का प्रयोग, उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाहियों की अवैधता,अनौचित्यता तथा अनियमितता की जानकारी की तारीख से 180 दिन की अवधि के भीतर किया जा सकता है भले ही अचल संपत्ति शासकीय भूमि हो अथवा उसमें कोई लोकहित हो । उपरोक्त प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों के प्रकाश में भी कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत एवं विधिसम्मत नहीं है, अतः स्थिर नहीं रखे जा सकते । उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–07–11 एवं कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08–03–10 न्यायिक एवं विधिसंगत न होने से निरस्त किए जाते हैं । तहसीलदार को निर्देश दिए जाते हैं कि राजस्व अभिलेख पूर्ववत संशोधित किए जायें । सदस्य	